न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना संख्या 25 / 2018

1. दुर्गालाल पुत्र श्री भूरालाल धोबी उम्र 65 जाति धोबी निवासी बजरंग कांलोनी,वार्ड नम्बर 15 बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

————प्रार्थी

ब ना म

1. भागचन्द पुत्र श्री मोडूलाल खाती
2. रामगोपाल पुत्र श्री काना खाती
3. प्रकाशचन्द पुत्र श्री देवीलाल खाती सभी जाति खाती निवासीगण ग्राम नगर ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 25.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 440 रकबा 0.3602 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 440 रकबा 0.3602 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी दुर्गालाल पुत्र श्री भूरालाल धोबी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohanlal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested

............लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

. दुर्गालाल बनाम भागचन्द व अन्य
प्रकरण संख्या 25/2018
//2//

इसके अलावा भी स्वयं अप्रार्थीगण ने भी पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् कोई आपत्ति की है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा मौजा नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 440 रकबा 0.3602 हैक्टेयर भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested